ायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बरः—166/2018 प्रार्थना पत्र
—श्री कल्याण मल पिता बंशीलाल मालीवाल, उम्र बालिग निवासी बड़े मंदिर के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
—श्री अशोक कुमार पिता बंशीलाल मालीवाल, उम्र बालिग निवासी बड़े मंदिर के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———प्रार्थीगण

बनाम

—श्रीमति गुलाबी देवी पत्नि सुखा उर्फ सुखदेव जाट, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
—श्रीमति हंगामी देवी पत्नि श्री भैरूलाल जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्रीमति प्रेम बेवा भंवरलाल जाट (गुग्गड़) उम्र बालिग निवासी हलेड़ हाल मौखमपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
—श्री श्यामलाल पिता कन्हैयालाल बाहेती, उम्र बालिग निवासी वीरसावरकर चौक, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—6.5.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—ास्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड़ वार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2348 रकबा 2 बीघा 14 वा, 2349 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की ाजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस ण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी ना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का श प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.6.2018 को पंजीबद्व किया जाकर ये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 व 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षी संख्या 2 व 4 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.8.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 1, 3 व 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल वली किये गये। विपक्षी संख्या 1, 3 व 5 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1, 3 व 5 को कितनी ही ा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 18.3.2019 व 2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक ा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, ल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित ाल आराजी नम्बर 2348 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2349 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा बीघा 10 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। त्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 850/–रूपये (आठ सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner